न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

(27)

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2861/2018/भोपाल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 31.03.2018 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 29/अपील/2017-18.

रविन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री शिखर चन्द्र जैन
निवासी वामोर कलां, जिला शिवपुरी, म.प्र.
वर्तमान निवासी भरूच गुजरात द्वारा
मुख्तारेआम अमीत जैन आ. श्री धन्नालाल जैन
निवासी 12 सुरूची, नगर कोटरा रोड, भोपाल .....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार
बैरागढ़ वृत्त संत हिरदाराम नगर,
कार्यालय तहसीलदार, बैरागढ़
रोड भोपाल, म.प्र. .....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 31.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक रविन्द्र कुमान जैन ने विचारण न्यायालय तहसीलदार, बैरागढ वृत्त, भोपाल के समक्ष संहिता की धारा 115-116 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया कि मौजा पलासी स्थित खसरा नंबर 113/19 रकबा 0.23 एकड़ उसके स्वत्व की है। वर्तमान अभिलेख में आवेदक का नाम दर्ज नहीं है। राजस्व अभिलेखों में आवेदक का नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/अ-6-

अ/2014-15 दर्ज कर संहिता की धारा 116 में खसरा या किन्हीं अन्य भू-अभिलेखों में प्रविष्टि सुधार का अधिकार प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष भीतर उसके शुद्धिकरण की अधिकारिता होने के आधार पर आवेदक का आवेदन अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 25.10.2014 पारित किया गया। विचारण न्यायालय के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी, संत हिरदारामनगर, वृत्त बैरागढ़, भोपाल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 28.09.2017 पारित कर प्रस्तुत अपील निरस्त की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 31.03.2018 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण का निराकरण आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेमो में उठाये बिंदुओं के आधार पर किया जा रहा है। आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो में प्रस्तुत तर्कों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश से यह सिद्ध है कि वर्ष 1991 से 1994 तक आवेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज था।

(2) प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह भी माना गया कि ग्राम पलासी के राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटियां हुई हैं, किंतु उनके द्वारा यह धारित किया गया कि संतोषप्रद रूप से यह समाधान नहीं हो पा रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में किस प्रकार से त्रुटि हुई इस कारण आवेदन निरस्त कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालयों को विवाद की तह तक जाना चाहिए था। ऐसा न करके भूल की गई है।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों ने यह भी मानने में भूल की है कि कम्प्यूटर खसरा एवं बी-1 रिकॉर्ड दुरूस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह दस्तावेज पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो कि राजस्व की बेवसाईट पर उपलब्ध है।

(4) विचारण न्यायालय के ज्ञान में किसी भी प्रकार से यह तथ्य संज्ञान में आने पर कि ग्राम के राजस्व अभिलेखों में त्रुटि है। संहिता के प्रावधान में रिकॉर्ड दुरूस्ती बाधक नहीं है।

(5) जो भी आलोच्य आदेश है, Pick N Choose के सिद्धांत पर आधारित है।

(6) प्रकरण में पंचनामा एवं प्रतिवेदन मान्यता ना देकर भूल की गई है।

(7) राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में रसीद क्रमांक 3982/2017 प्रस्तुत की गई थी, जिसके संबंध में जांच ना कर भूल की गई है। इस बाबत् जांच की जाना चाहिए थी, कि रिकॉर्ड कहां और कैसे गायब हुआ है।

(8) प्रकरण की परिस्थितियों से यह सिद्ध है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने में वेष्ठित क्षेत्राधिकार का उपयोग करने से इंकार कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालयों ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 113/19 अंकित नहीं है एवं आवेदक को विक्रय करने वाले मुकन्दी आ. धनीराम के नाम भूमि स्वामित्व में अंकित नहीं है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष हल्का पटवारी ने भी शासकीय अभिलेख में विक्रेता का नाम न होने से प्रविष्टि दर्ज किया जाना उचित नहीं है, प्रतिवेदित किया है। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा 20 वर्ष की समयावधि उपरांत दुरूस्ती का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे निरस्त किये जाने में विचारण न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है तथा तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

इसी प्रकार 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

अतः उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.03.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर